संख्या– 2635 / 1–10–2008–12(72) / 2008

प्रेषक:

जी0 के0 टण्डन
राहत आयुक्त एवं सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ: दिनांक: 12 मई, 2008

विषय: सूखे से प्रभावित मिर्जापुर मण्डल में पेयजल हेतु नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति की बैठक दिनांक 25.04.2008 में लिये गये निर्णय के कम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा मुक्खा फाल पेयजल योजना के बिजली के तार चोरी हो जाने के कारण अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड राबर्टस गंज को उपलब्ध करायी गई धनराशि रू0 4,50,000/– को समायोजित करते हुए शासनादेश संख्या:1660/1–10–2008–12(73)/2007 टी0सी0, दिनांक: 31 मार्च, 2008 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से अवशेष धनराशि को रिवैलीडेट करते हुए रू0 5,45,68,000/– (रूपये पांच करोड़ पैतालिस लाख अड़सठ हजार मात्र) श्री राज्यपाल महोदय मिर्जापुर मण्डल में पेयजल तथा सिंचाई हेतु पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने एवं विद्युत अधिसंरचना के स्थापना हेतु 11 के0 बी0 लाइनों तथा परिवर्तकों के जाल हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 5,45,68,000/– (रूपये पांच करोड़ पैतालिस लाख अड़सठ हजार मात्र) भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा हजरतगंज लखनऊ में खुले आपदा राहत निधि के बचत खाता में उपलब्ध धनराशि में से प्रबंध निदेशक,उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ को एकाउन्ट पेयी चेक संख्या– 584314 दिनांक 12 मई, 2008 द्वारा स्वीकृत किया जा रहा है।

3 बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र में लगातार 04 वर्षो से अवर्षण की स्थिति के कारण पेयेजल तथा सिंचाई हेतु पानी की समस्या की दशा में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने हेतु विद्युत अधिसंरचना की स्थापना अपरिहार्य है। मिर्जापुर मण्डल के सूखाग्रस्त जनपद– मिर्जापुर एवं सोनभद्र में भी पेयजल हेतु भूमिगत जल संसाधन

पर जलापूर्ति पूर्ण रूप से निर्भर हो गयी है। इस जल का दोहन बोरिंग / डीप बोरिंग के माध्यम से ही संभव है, जिसमें विद्युत चालित सब–मर्सिबुल पम्प स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद ही संभव है। इस क्षेत्र में विद्युत विभाग के अधिसंरचना संबंधी सुविधा अपर्याप्त है, जिसे सुदृढ़ किया जाना अपरिहार्य है, अन्यथा गहरे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिसंरचना संबंधी प्रस्ताव से इस क्षेत्र में विद्युत तारों एंव कनेक्शन का नेटवर्क / जाल बिछाना आसान हो जायेगा जिससे पेयजल की समस्या दूर होगी। इसका उपयोग कृषकों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हेतु भी किया जा सकेगा।

4 आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की सुविधा बनाये रखना अपरिहार्य है। भू–गर्भ जल का संचयन केवल विद्युत चालित नलकूपों से ही हो सकता है। अतः स्वीकृति धनराशि का उपभोग तारों का नेटवर्क बिछाकर कुओं एवं नलकूपों के माध्यम से मानव एवं पशुओं को आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान आसन्न पानी की विकराल समस्या का समाधान किया जा सकेगा। जिस कृषक के नलकूप को इस व्यवस्था से आच्छादित किया जायेगा उससे इस आशय का एक आश्वासन (अंडरटेकिंग) ली जायेगी कि वह स्वेच्छा से निःशुल्क पेयजल उपलब्ध करायेगा।

5. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा0 जन प्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

6. **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जॉच टीम गठित करेंगे** तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाइन्स तथा मानक के अनुरूप हो। जॉच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पायी गई अनियमितताओं की पूर्ण सूचना / आख्या शासन को अनिवार्य रूप से 02 दिन में उपलब्ध करा दिया जाय।

7. शासनादेश संख्याः1660 / 1–10–2008–12(73) / 2007 टी0सी0, दिनांकः 31 मार्च, 2008 द्वारा **स्वीकृत किये गये कार्यो** में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा।

8. उक्त रिवैलीडेट एवं स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय। उक्त अवधि के उपरान्त अवशेष धनराशि आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफट के माध्यम से शासन को दिनांकः10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप समर्पित कर दिया जाय।

9 आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या–जी0आई0–134 / 1–11 – 2007–46 / 97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य

सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशो के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

10. इस धनराशि का व्यय आपदा राहत निधि की गाइडलाइंस के अनुसार तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु ही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ इस आशय का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करायेगें कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु विभागीय बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं है तथा विभाग के पास कार्य के कार्यान्वयन हेतु मानव संसाधन संबंधी समस्त अधिसंरचना उपलब्ध है।

11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा इस धनराशि से किये गये कार्यो का विवरण जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापित कराकर शासन को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

12. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

13. कृपया व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाए और प्रत्येक तीन माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाए।

भवदीय,

(जी0 के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव।

संख्या– 2635 (1)/1–10–2007–12(72)/2008, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा)/महालेखाकार(आडिट) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग।
3. मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र।
6. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग –6/11/वेबसाइट के उपयोग हेतु।
8. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

9.5.08